सिकन्दर अली – पारसीमर्दा 168/2016

दिनांक	आज्ञा पत्र	
9-8-18	वकील अपीलान्ट 34, 35, 37, 54, के अलावा सभी को [illegible] दिया करे। [illegible] करने पर [illegible] हो। [illegible] तक हो। पत्रावली [illegible] 12-11-18 को [illegible] हो। [illegible] आवी [illegible] 2 [illegible]	
12-11-18	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक [illegible] न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 13-11-18 को पेश हो।	
13-11-18	पत्रावली पेश। वकली अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई । इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। 13/XI/18 भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official